

अध्याय 4

कोयले का आयात

कम्पनी घरेलू कोयले की आपूर्ति को पूरा करने के लिए 2005-06 से कोयले का आयात कर रही है। 2011-12 से पूर्व, कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) अर्थात् एमएमटीसी लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयले का आयात कर रही थी। यह पीएसयूज आपूर्तिकर्ताओं से कोयले का आयात कर रहे थे और अपनी लागत से अधिक व अतिरिक्त सेवा मार्जिन प्रभारित कर रहे थे। भारत सरकार कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा अक्टूबर 2007 में अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में अनुबद्ध है कि सीआईएल उपभोक्ताओं की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति करेगा। एनसीडीपी में प्रावधान है कि सीआईएल कोयला आयात कर सकता है और तदनुसार अपनी समग्र कीमत समायोजित कर सकता है।

अप्रैल 2009 में, स्टेशनों की एसीक्यू पर सीआईएल, एनटीपीसी और बिजली कम्पनियों के साथ परामर्श से सीईए द्वारा समीक्षा की गई थी। जहाँ वह स्टेशन जिनकी वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) 31 मार्च 2009 से पूर्व घोषित की गई थी, को आपूर्ति के मौजूदा स्तर के अनुसार एसीक्यू दिया गया था, नए स्टेशन अर्थात् 31 मार्च 2009 के बाद संस्थापित स्टेशनों को नियामक संबंधी आवश्यकता के अनुरूप अर्थात् 85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) एसीक्यू प्राप्त हुई थी। अतः नियामक स्तरों से ऊपर स्तर पर स्टेशनों की क्षमता की घोषणा¹⁷ के साथ साथ घरेलू कोयला आपूर्तियों में अवरोधों का समाधान करने के लिए के लिए, कम्पनी ने कोयले के आयात का सहारा लिया। कम्पनी ने सीआईएल के माध्यम से आयात के विकल्प का प्रयोग नहीं किया और नवम्बर 2011 से निविदाकरण के माध्यम से स्वयं कोयले का आयात किया।

आयात किए जाने वाले कोयले की मात्रा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा देशव्यापी आधार पर घरेलू कोयले की उपलब्धता और वर्ष के लिए उत्पादन स्तर जैसा सीईए द्वारा निर्धारित किया गया हो, के आधार पर निर्धारित की जाती थी। कोयले के आयात के लिए प्रत्येक उत्पादन कंपनी को एक 'लक्ष्य' दिया जाता था। 2015-16 को समाप्त पिछले छः वर्षों के

¹⁷ इंडियन इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड 2010 के अनुसार, उत्पादन स्टेशन अगले दिन के लिए उनकी प्रत्याशित क्षमता की पूर्व घोषणा करेंगे, जिसके आधार पर लाभार्थी स्टेशनों से विद्युत प्राप्त करने की रूप रेखा तैयार करेंगे।

दौरान एनटीपीसी द्वारा कोयले के आयात का विवरण और घरेलू कोयले के साथ कीमत की तुलना तालिका 4.1 में तालिकाबद्ध है।

तालिका-4.1: वर्ष-वार मात्रा और घरेलू कोयले की तुलना में आयातित की कीमत

वर्ष	आयात के लिए दिया गया लक्ष्य	दी गई मात्रा	कोयले का वास्तविक आयात	स्टेशनों पर आयातित कोयले की प्रति टन भारत लैंडिंग औसत कीमत (₹ में)	स्टेशनों पर स्वदेशी कोयले की औसत प्रति टन लैंडिंग लागत (₹ में) [@]	आयातित और घरेलू कोयले के बीच कीमत में अन्तर (₹ में)
	(मिलियन टन में)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5-6)
2010-11	13.90	12.00	10.50	7788	2325	5463
2011-12	15.45	4.00	12.00	8992	2790	6202
2012-13	16.00	12.00	9.10	6745	3017	3728
2013-14	16.60	7.83	10.80	6880	3374	3506
2014-15	16.60	18.88	16.40	5999	4653	1346
2015-16	12.00	7.00	9.70	5951	4415	1536

@ कालम 5, 10 स्टेशनों के आयातित कोयले की औसत लैंडिंग लागत दर्शाता है तथा कालम 6 की गणना एफएसए, एमओयू तथा ई-नीलामी के माध्यम से दस स्टेशनों (लेखा परीक्षा नमूने में चयनित 13 में से) द्वारा अधिप्राप्त भारत औसत लागत के आधार पर की गई है, जिसका डाटा लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया था। बदरपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसने मात्र 2010-11 में आयातित कोयला उपयोग किया। दादरी तथा वल्लूर ने आवश्यक डाटा नहीं दिया। इन दरों को आगे 1.5 से गुणा खपत के उद्देश्य से 1.5 कि.ग्रा घरेलू कोयला 1 किग्रा आयातित कोयले के बराबर मानते हुए किया गया है, ताकि आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले के मानक के अनुसार कीमत की गणना की जा सके।

कोयले के आयात में 2010-11 से 2011-12 तक तथा 2013-14 से 2014-15 तक वृद्धि का रुझान दर्ज किया गया है किंतु यह 2012-13 व 2015-16 में कम हो गया और कीमतों में मिश्रित रुझान देखा गया है। 2014-15 में दी गई मात्रा 'लक्ष्य' से अधिक हो गई थी। लेखापरीक्षा ने कोयले के आयात से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और आपत्तियां नीचे दर्शायी गई हैं।

4.1 कोयले के आयात के लिए नीतिगत ढांचा

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोयले के आयात के लिए कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट नीति नहीं बनाई गई थी। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा किए गए ड्राफ्ट कोयला आयात नीति, 2012 की जांच करते समय (नवम्बर 2012) बोर्ड ने 2009 से कोयला आयात नीति की क्रमगत

उन्नति की जांच, समय समय पर नीति में किए गए परिवर्तनों के कारण पहचानने, भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई और कोयला आयात नीति को अन्तिम रूप देने के लिए एक और उप समिति (कोयला आयात नीति की समीक्षा के लिए समिति) का गठन किया। तथापि, पिछले चार वर्षों में कोयला आयात के लिए किसी व्यापक नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि कोयले की आयात नीति वर्ष के अंत तक निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

एक व्यापक नीति के अभाव में, मुख्य निर्णयों जैसे बोलीकर्ताओं के बीच मात्रा के बंटवारे अर्हता आवश्यकता, अधिप्राप्त किए जाने वाले कोयले का प्रकार/जीसीवी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति असंगत दृष्टिकोण अपनाए जाने के मामले थे, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क. पैकेजों का बंटवारा

अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कोयले के आयात के लिए 64 ठेके (40 पैकेज) दिए। 40 पैकेजों¹⁸ {मूल्य द्वारा अधिप्राप्ति को 75 प्रतिशत से अधिक तक ₹22796.91 करोड़ (लगभग) तक की कीमत वाले 36.79 मिलियन टन कोयले हेतु} में से 36 एकल सत्व अदानी एंटरप्राइसेस लिमिटेड को दिए गए थे। फरवरी 2012 से फरवरी 2013 तक दिए गए आरम्भिक 17 पैकेजों में, सम्पूर्ण पैकेज मात्रा को एल1 बोलीकर्ता को दिया गया था तथा योग्य बोलीकर्ताओं के बीच मात्रा को बांटा नहीं गया। फलस्वरूप भागीदारी स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए कम्पनी ने योग्य बोलीकर्ताओं के बीच मात्रा का बंटवारा करने का निर्णय लिया। 2013-14 के प्रथम भाग में, एनटीपीसी ने 1 एमएमटी तथा इससे अधिक पैकेज मात्रा के लिए एल1 मूल्यों पर एल1, एल2, तथा एल3 बोलीकर्ता के बीच क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में पैकेज मात्रा का बंटवारा करने पर विचार किया। यह निर्णय किया गया कि 0.5 एमएमटी तथा 1 एमएमटी के बीच पैकेज मात्रा हेतु मात्रा का एल1 तथा एल2 बोलीकर्ताओं के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। हालांकि, इन अनुपातों का अनुपालन केवल 31 अक्टूबर 2013 को दिए तीन पैकेजों के एक भाग के लिए किया गया था तथा बाद के आठ पैकेजों में, अनुपात को 70 (एल1) :30 (एल2) में परिवर्तित किया गया परन्तु परिवर्तन के लिए कारण दर्ज नहीं थे। परिणामस्वरूप,

¹⁸ बंटवारे के कारण एल2 को दिए गए दो पैकेजों सहित।

ठेकों के बंटवारे को अगस्त 2014 में 'रिवर्स ऑक्शन' प्रस्तावित होने के पश्चात समाप्त कर दिया गया। अतः पैकेजों में कम्पनी द्वारा अपनाई गई बंटवारा प्रक्रिया के संदर्भ में असंगति थी।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि 60:40/50:30:20 के विभाजन अनुपात के मामले में, पाँच से आठ बोलीकर्ताओं ने बोली दस्तावेज़ खरीदे तथा केवल दो बोलीकर्ताओं ने प्रत्येक पैकेज में अपनी बोली प्रस्तुत की। बाद में पक्षों को एल 1 बोलीकर्ता बनने के लिए तीव्रता से बोली उद्वृत करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए विभाजन अनुपात को बदल कर 70:30 करने का निर्णय लिया। विभाजन अनुपात को 70:30 पर बदलने के साथ, 15 से 24 बोलीकर्ताओं ने बोली दस्तावेज़ खरीदे तथा प्रत्येक पैकेज में तीन से छः बोलीकर्ताओं ने अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं। मंत्रालय ने आगे बताया कि विभाजन अनुपात को 70:30 में बदलने के बाद बेहतर अवार्ड मूल्य प्राप्त किए गए थे तथा ये लागत अनुमानों के करीब भी थे। सभी पैकेज एल-1 कीमतों पर ही दिए गए थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिवर्स आक्शन उच्चतम पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई थी तथा इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कमतर कीमतों के अलावा किसी अन्य आधार पर कोई बोलीकर्ता अन्य बोलीकर्ताओं की तुलना में फायदा प्राप्त नहीं करता। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिक विस्तृत भागीदारी के लिए, एनटीपीसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलीकरण (आईसीबी) आधार पर आयोजित कोयले की प्रत्येक पैकेज हेतु निविदा आमंत्रित कर रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि विभाजन अनुपात ने एल 1 बोलीकर्ता को देय पहले के 50/60 प्रतिशत की मात्रा बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया। भागीदारी का बढ़ा हुआ स्तर मात्र विभाजन अनुपात में बदलाव के कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें बाजार स्थितियों जैसे अन्य कारक भी होंगे जो भागीदारी पर प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाजन अनुपात के साथ-साथ महत्वपूर्ण अर्हक आवश्यकताएँ¹⁹ भी बदल दी गई थीं, जिससे भागीदारी पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः मात्र एक निविदा के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है कि कम प्रतिक्रिया मात्र विभाजन अनुपात

¹⁹ (i) जब विभाजन अनुपात 50:30:20/60:40 था, तो किसी बोलीकर्ता के लिए निविदा में भाग लेने के लिए न्यूनतम अर्हक आवश्यकता यह थी कि उसे पैकेज मात्रा के 50 अथवा 60 प्रतिशत आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए। किन्तु जब विभाजन अनुपात बदल कर 70:30 कर दिया गया, तो इसे बदल कर पैकेज मात्रा का 44 प्रतिशत कर दिया गया। (ii) संशोधित क्यूआर में यह व्यवस्था दी गई कि आपूर्ति तथा हैंडलिंग विशेषताओं की आवश्यकताएं पूरा करने वाला बोलीकर्ता भी खान मालिकों के साथ 'प्राधिकार पत्र' के माध्यम से साझेदारी करने के बाद बोलियों में भागीदारी कर सकता था।

के कारण थी। यह भी देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए 36 में से 22 पैकेजों में कीमतें लागत अनुमानों से ज्यादा थी।

ख. पैकेजों का पुनः निविदाकरण/विलोपन

आयात आदेशों की समीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा द्वारा जाँची गई 36 पैकेजों में से 22 में, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त एल1 दरें अनुमानों²⁰ से अधिक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण नहीं था।

- इन पैकेजों में से 11 में, कम्पनी ने बोली कर्ता से प्राप्त अधिक उद्धरणों को दर्शाते हुए पुनः निविदाकरण किया।
- छः मामलों में (तीन पुनः निविदाकृत पैकेजों सहित), कम्पनी ने पश्च बोली वार्ता की जिसके आधार पर ठेके दिए गए।
- शेष आठ मामलों में, कम्पनी ने किसी वार्ता अथवा पुनः निविदाकरण का सहारा लिए बिना ठेके दिए।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि पुनः निविदाकरण/विलोपन को एनटीपीसी का वाणिज्यिक हित देखते हुए तथा कोयले के स्टॉक की स्थिति, कोयले की माँग तथा निविदाकरण के दौरान निकाली गई कोयला लागतों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विवेक सहित किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ये सभी निर्णय मामले के अनुसार निदेशक मंडल/उप समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि अधिक व्यय एनटीपीसी की वित्तीय स्थिति पर परिदर्शित नहीं होगा चूंकि व्यवसाय माडल के अनुसार, ईंधन लागत को बाहर से लाया गया।

उत्तर से पता चलता है कि इन निर्णयों में परस्पर अलग-अलग दृष्टिकोण थे।

4.2 कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता का स्रोत सत्यापन

कम्पनी ने विदेशी खान मालिकों द्वारा भागीदारी करने तथा आयातित कोयले की मात्रा और गुणवत्ता के विषय में आश्वासन प्राप्त करने के एक प्रयास में जुलाई 2013 में बोलीकर्ताओं के लिए योग्यता संबंधी आवश्यकताओं (क्यूआर) को परिवर्तित किया। नई क्यूआर में अनुबंधित किया गया कि बोलीकर्ता को खान का मालिक अथवा खान के मालिक के एक सदस्य के रूप में विद्यमानता वाले सहायता संघ में होना चाहिए। 23 जुलाई 2013 को

²⁰ निविदा देने का मूल्य लागत अनुमानों से 10 मामलों में 0 से 5 प्रतिशत, 8 मामलों में 5 से 10 प्रतिशत, 1 मामले में 10 से 20 प्रतिशत, 1 मामले में 20 से 30 प्रतिशत तथा 2 मामलों में 30 प्रतिशत और अधिक तक अधिक था।

आयोजित पूर्व बोली सम्मेलन के दौरान, संभावित बोलीकर्ताओं ने अभिव्यक्त किया कि विदेशी खान मालिक ऐसे संघ समझौते पर हस्ताक्षर करने के अनिच्छुक थे जहां वे आपूर्ति करने तथा हैडलिंग के भाग के लिए भी उत्तरदायी थे। इसे सम्बोधित करने के लिए क्यूआर को संशोधित किया गया तथा यह अनुबंधित किया गया कि आपूर्ति तथा हैडलिंग अनुभव की आवश्यकता को पूरा करने वाला बोलीकर्ता खान मालिक के साथ समझौता करने तथा उनसे एक 'प्राधिकार पत्र' के प्राप्त करने के पश्चात् बोलियों में भाग भी ले सकते थे। चूंकि इस शर्त पर प्राप्त बोली मूल्य लागत आकलनो से अधिक थी, अतः 'प्राधिकार पत्र' के संबंध में आवश्यकता को आगामी निविदाओं में छूट दी गई थी। यह निर्णय किया गया कि बोलीकर्ता केवल उन खानों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे आपूर्ति होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छूट प्राप्त शर्तों के अनुसार बोलीकर्ताओं ने उन खानों (33 से 740 खानों तक)²¹ की सूची प्रस्तुत की जहां से वे कोयला मंगा सकते थे। इस कारण से कोयला उत्पादक से कोयले के स्रोत, मात्रा तथा गुणवत्ता के विषय में आश्वासन प्राप्त करने का उद्देश्य वास्तव में कभी कार्यान्वित नहीं हुआ क्योंकि किसी भी बोलीकर्ता ने इन खानों से आयात किए जाने वाले कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता (सकल कैलोरिफिक मान-जीसीवी) के साथ खानों के वास्तविक नाम प्रस्तुत नहीं किए।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि इंडोनेशिया में कई छोटी कोयला खानें हैं और इस कारण बोलीकर्ताओं ने उपरोक्त प्रारूप में काफी संख्या में खानों की घोषणा की। मंत्रालय ने आगे कहा कि एक बार सफल बोलीकर्ता द्वारा कोयला खान के स्रोत की घोषणा करने के बाद, वह बोलीकर्ता केवल घोषित की गई खान से ही कोयला आपूर्ति करने को बाध्य था, तथा उसे कोयले की तकनीकी विशेषताएँ पूर्ण करनी पड़ेगी। यह भी कहा गया कि कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा के प्रति आश्वासन प्राप्त करने की आवश्यकता स्रोत घोषणा से पूर्ण हो गई थी।

विदेशी खान मालिकों की भागीदारी न होने के लिए प्रमुख वजह स्टेशन स्तर तक कोयले की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायित्व के संदर्भ में शर्त थी। इस विषय का समाधान करने की बजाय, कम्पनी ने संबद्ध खान हेतु घोषणा करने कि शर्त में छूट दी। हालांकि खानों

²¹ बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत खानों की सूची ने 340 खानों-ईईएल संघ, 535 खानों- नॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (केआईएसपीएल), 33 खानों- एमबीजी कम्मोडिटी प्राइवेट लिमिटेड (एमबीजी) तथा 740 खानों- ट्राइमेक्स इन्टरनेशनल एफजेडई (टीआईएफ) संघ (सिम्हादारी तथा रामागुनडम हेतु 1.3 एमएमटी पैकेज के संदर्भ में) का वर्णन किया।

की घोषणा से बोलीकर्ताओं को कुछ असुविधा हुई होगी, परंतु इससे कंपनी को बोलीकर्ता द्वारा खरीदे जा रहे कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता का आश्वासन प्राप्त होगा।

4.3 आयातित कोयले के मूल्यांकन हेतु अपनाए गए सूचकांक

एनटीपीसी ने फरवरी 2012 से फरवरी 2013 तक 14.6 एमएमटी वाले 15 पैकेजों के अंतर्गत इंडोनेशिया से कोयला आयात किया। बोली की शर्तों के अनुसार, भुगतान के उद्देश्य से उद्धृत एफओबी कोयला मूल्य विभिन्नओं के अधीन था, ऐसी सूचकांक तैयार करने पर बेस तिथि तथा साप्ताहिक आधार पर विनिर्दिष्ट सूचकांको²² में निचले सूचकांक पर विचार करते हुए किया गया था।

कोयला मूल्यांकन सकल केलोरिफिक मान (जीसीवी) पर आधारित था तथा 'एयर ड्राईड आधार' (एडीबी) पर पाया गया जीसीवी आयातित कोयले के भुगतान हेतु प्रयोग किया। भुगतान हेतु विचार किए गए सूचकांको में से एक, इंडोनेशियाई कोयला सूचकांक जीसीवी को 'ग्रास एज़ रिस्विड' (जीएआर) आधार पर रिपोर्ट करता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एडीबी तथा जीएआर आधार पर निकाले गए जीसीवी में काफी फर्क था, जीएआर आधार पर निकाले गए जीसीवी से एडीबी जीसीवी ज्यादा है। आयातित कोयला पैकेजो हेतु आवश्यक कोयले की जीसीवी एडीबी आधार पर 6300 के.कैल/कि.ग्रा. थी। यह जीएआर आधार पर 5800 रैंज जीसीवी में परिवर्तित होगा। एनटीपीसी ने संविदा दस्तावेज़ में इंगित किया कि मूल्य आधार हेतु एक मापदंड 6300 के.कैल/कि.ग्रा. जीसीवी था (एडीबी आधार पर) तथा एफओबी मूल्य 6500 जीएआर के इंडोनेशियाई कोयला सूचकांक सहित विनिर्दिष्ट सूचकांको पर विचार करते हुए विचलन से प्रभावित होंगे। लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि उपयुक्त इंडोनेशियाई कोयला सूचकांक विनिर्दिष्ट नहीं था (5800 जीएआर के स्थान पर 6500 जीएआर निर्दिष्ट किया गया), अतः कोयला सुपुर्दगियों हेतु भुगतान²³ के समय अतिरिक्त व्यय हुआ। 6500 जीएआर तथा

²² (i) सीईआरसी प्रविधि (जिसमें 50:25:25 की प्राथमिकता सहित 6000 के.कैल/कि.ग्रा. एनसीवी हेतु रिचर्ड बे एपी14, 6700 के.कैल/कि.ग्रा. जीएडी हेतु न्यूकासल एक्स्पॉर्ट इंडेक्स (एनईएक्स) तथा 6000 के.कैल/कि.ग्रा. एनसीवी हेतु ग्लोबल कोल न्यूकासल (जीसीएनईडब्ल्यू सी) के लिए सूचकांक थे) (ii) कोयले के स्रोत देश हेतु सूचकांको का उपयोग करने वाली प्रविधि (इस मामले में विचार किये गए सूचकांको में से एक इंडोनेशियन कोल इंडेक्स (आईसीआई) 6500 जीएआर था)

²³ उदाहरण के लिए, 3.2.2012 को खोली गई बोली में, बोलीकर्ता ने 6300 जीसीवी (एडीबी आधार पर आकलित) कोयले हेतु 97.35 डालर प्रति टन बोली। इंडोनेशियन कोयला सूचकांक 6500 (जीएआर आधार) के अनुसार उस समय कोयले का बाजार मूल्य 113 डालर था। उद्धृत कीमत, जिसे स्वीकार किया गया, इस सूचकांक के अनुसार बाजार मूल्य से कम थी। किंतु उस समय के उपयुक्त सूचकांक इंडोनेशियन कोयला सूचकांक 5800 (जीएआर आधार) के अनुसार बाजार मूल्य 94.25 डालर था किंतु उद्धृत कीमत इससे ज्यादा था। वास्तविक सुपुर्दगी के समय मूल्य तय करते समय भी यही तुलना लागू थी।

5800 जीएआर के अनुसार इंडोनेशियन कोयले के प्रति टन मूल्य में फर्क 11.97 यूएसडी से 18.75 यूएसडी के बीच था (अवार्ड की तारीख को विद्यमान दरों) चूंकि आयातित कोयला आपूर्तियाँ इंडोनेशिया से थे, अतः उपयुक्त सूचकांक अपनाया जाना महत्वपूर्ण था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि प्रयोग किए गए इंडेक्स नंबर को ध्यान में न लेते हुए बोलीकर्ता अपने बोली मूल्यों में सभी प्रत्याशित जोखिम तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तों के होने वाले प्रभाव को शामिल करेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सूचकांक मात्र वृद्धि हेतु भुगतान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि उपयुक्त सूचकांक का अपनाया जाना भुगतान के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण था, जिसमें बेस तिथि के संदर्भ में वृद्धि भी शामिल थी, चूंकि कोयले का मूल्यांकन नमी एवं रिपोर्टिंग के आधार (एडीवी या जीएआर) के अनुसार बदल रही थी।